Form No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी, कुचामन सिटी (नागौर)

वादी ..... बनाम ..... प्रतिवादीगण

रामूराम पुत्र हजारीराम ..... रामेश्वर लाल पुत्र हजारीराम

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

किस्म मुकदमा ..... अधीन धारा 188 मु.नं. 114/18

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
21/8/18	वादी गनूराम के विपक्ष हाजरपुरा ने वाद पत्र पर निवेदन किया की रामेश्वर लाल विरुद्ध मेरी कब्जा भूमि जोहारी में हल्ला गुल्ला होने से पाबन्द करे। 188 BNSS प्रतिवादी को विपक्ष ने कुचामन गुल्ला किये ने मामला कायम करने पर राजी होने बयान करने पर तहसीलदार कुचामन को बयान करने के पाबन्द किया यानी इस वाद को आगे नहीं चलाने पर जाब्ता फौजदारी की कार्यवाही नहीं होने पर हल्ला गुल्ला नहीं होने का हलफनामा देवेला है। विपक्ष ने विपक्ष हाजरपुरा के हलफनामा लिया।	

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)